

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
कमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / नियमितिकरण / नागौर / एन-546 / 2018 / 663 दिनांक:- 15/5/18

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक नर्सिंग / नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013) / 2016 / 60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परीवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक लेंवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800 /- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02वर्ष पश्चात परीवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	गणपत लाल बाजिया	21.05.85	नागौर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
2	हेमलता चौधरी	15.06.85	नागौर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
3	इमरता कुमारी	01.07.88	नागौर	15.02.16	14.02.18	15.02.18
4	मंजू कुमारी	10.01.83	नागौर	28.03.16	27.03.18	28.03.18
5	सुनीता बोला	13.07.91	नागौर	24.02.16	23.02.18	24.02.18
6	संतोष कुमार	12.12.78	नागौर	29.02.16	28.02.18	29.02.18
7	शान्ति	07.08.88	नागौर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
8	संजु	15.02.89	नागौर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
9	विमला पूनिया	01.12.82	नागौर	11.02.16	10.02.18	11.02.18

-51-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

कमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / नियमितिकरण / नागौर / एन-546 / 2018 / 663 दिनांक:- 15/5/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।